



पत्रांक- 2899 /12-1 देहरादून:

दिनांक: 2 मई, 2025

सेवा में,

उप महा निदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(प्रस्ताव संख्या:- FP/UK/ROAD/27119/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार की पत्र सं0 08बी./यू.सी.पी./06/06/57/2018/एफ.सी./157 दिनांक 15-05-2021।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर का पत्रांक 3729/12-1-2 दिनांक 25-03-2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है-

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी-प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
	क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.038 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम बिजौरिया झाल, खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	क) वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सिविल सोयम भूमि ग्राम बिजौरिया झाल पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वीदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रुपान्तरित एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाएगी। गाईड लाईन पैरा-2.4(1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	ख) वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 5.038 है0 ग्राम बिजौरिया झाल सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 70/26-02 वन /2020-21/2024-25 दिनांक-25.01.2025 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि हस्तान्तरित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
	ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	ग) वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।(संलग्नक-01)

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याषित लागत वृद्धि उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 5.038 है० ग्राम बिजोरियाझाल सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 18,68,604.00 मात्र (रु० अट्ठारह लाख अड़सठ हजार छः सौ चार मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. RBI0302274463641 Dtd 29.01.2022 द्वारा जमा किया जा चुका है।
5 शुद्ध वर्तमान मूल्य:-	
(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं० 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.519 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं० 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रु० 16,54,983.00 (सोलह लाख चौब्वन हजार नौ सौ तिरासी मात्र) का 2.519 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न-02)
6 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 123 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 123 न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु सहमत है।
7 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित/जमा किया गया है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8 गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
9 एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्न-03)
10 प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के

	संख्या बढ़ाएगा।	अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाने हेतु सहमत है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति तो प्राप्त करेगा के कम में पूर्व से ही प्रारूप सं०-54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय

राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें गनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके पूर्व किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें गनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय/ अनुदेश आदि का प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय/ अनुदेश आदि का प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24 अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम-1980, यथा सशोधित-2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण 

संख्या-2899 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण 

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं०:- 05963-220249 फैक्स नं०:- 05963-220209

पत्रांक
सेवा में,

3729 / 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक : 25 / 03 / 2025

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :-

जनपद बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/27119/2017)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक सं० 08बी/यू०सी०पी०/06/57/2018/ एफ०सी०/ 157 दिनांक 15.05. 2021।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :-

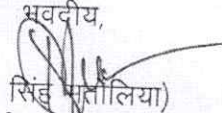
क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी- प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
	क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.038 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बिजोरिया झाल, खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	क) सिविल सोयम भूमि ग्राम बिजोरियाझाल पर प्रतिपूरक वनीकरण कि जायेगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा त प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रुपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	ख) प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 5.038 है० ग्राम बिजोरियाझाल सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं 70/छब्बीस-02 वन/2020-21/2024-25 दिनांक 25.01.2025 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। उक्त भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है।
	ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	ग) उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (संलग्न- 1)

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 5.038 हे० ग्राम बिजोरियाझाल सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 18,68,604.00 मात्र (रु० अट्ठारह लाख अड़सठ हजार छः सौ चार मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. RBI0302274463641 Dtd 29.01.2022 द्वारा जमा किया जा चुका है।
5 शुद्ध वर्तमान मूल्य:- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं० 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.519 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं० 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रु० 16,54,983.00 (सोलह लाख चौब्वन हजार नौ सौ तिरासी मात्र) का 2.519 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है। (ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न-)
6 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 123 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 123 न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु सहमत है।
7 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित/जमा किया गया है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8 गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी	गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
9 एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत

	से सुनिश्चित किया जाएगा।	है। (संलग्न-)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाने हेतु सहमत है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति तो प्राप्त करेगा के कम में पूर्व से ही प्रारूप सं0-54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यालय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यालय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तथ सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तथ सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

	स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूर्व किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

संलग्न-चार प्रतियों में

भवदीय,

 (ध्रुव सिंह भट्टालिया)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 झांझेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (0)

पत्रांक 268 / 2ई०

दिनांक 14/02/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/27119/2017)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०६/५७/२०१८/एफ०सी०/१५७ दिनांक 15.05.2024

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा रही है:-

क्र० सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली गयी है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
प्रतिपूरक वनीकरण:-		
3	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.038 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम ग्राम बिजोरिया झाल खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.038 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम बिजोरिया झाल खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण वन विभाग द्वारा किया जाएगा एवं स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि नहीं की जायेगी।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तवों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है।

7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। (पत्र संलग्न-03)
8	गाईडलाईन्स के दिए गए दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	गाईडलाईन्स के दिए गए दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। पत्र संलग्न
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचोंबीच पौधों की संख्या बढ़ायेगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (प्रमाण पत्र संलग्न-04)
11	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन लाइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन लाइनेज लगा दिये गये हैं।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	वनभूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरी को राज्यीय वन विभाग अथवा वन अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरी को राज्यीय वन विभाग अथवा वन अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया गया है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन कर दिया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।

18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया गया है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की गयी है।
20	इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होने पर प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ले ली जायेगी।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

संलग्न-चार प्रतियों में।

पत्रांक 168 /2ई0

दिनांक 14 /02/2025

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
14/02/25
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

14/02/25
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
&
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू0सी0पी0/06/57/2018/एफ.सी. 157

दिनांक: 15/05/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद — बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/ROAD/27119/2017)
संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 3732/1 जी —FP/UK/ROAD/27119/2017 दिनांक 19.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.04.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार— जनपद — बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

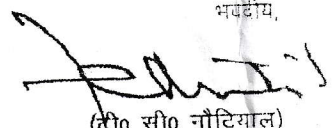
1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.038 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम बिजोरिया झाल, खसरा संख्या 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.519 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

फोटो प्रतिसत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

8. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 123 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in/>) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कटाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,



(टी० सी० नोटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (क०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, वागेश्वर वन प्रभाग, वागेश्वर।
4. आदेश पत्रावली।

(टी० सी० नोटियाल)

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड नो. 10/11/12

कम्प्यूटर (प्रयोक्ता)

उप महानिरीक्षक, वन (क०)

(1987) 10/10
C. 10/10 10/10
10/10 10/10
10/10
10/10 10/10

[illegible]

1-1735 H.1.12

2025-02-02
10:10 AM

DEAN HIL

- 109

1942-1943 23:19 0101

19-1114 10/10/48 10/10/48

2-19-68

1 Q. Did he have any other children?

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री लक्ष्म्याय नमः ॥ श्री कल्याणाय नमः ॥ श्री विष्णवे नमः ॥ श्री ब्रह्मणे नमः ॥ श्री शिवाय नमः ॥ श्री परमात्मने नमः ॥

በጥላይ የሚገኝ 219640 ወ/1 ደ/1/ሐ/ሐ ሆኖ ይገኛል ብሎ ሲያሳይ ይህም ሲሆን

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 17

[illegible]

Kh. Inik Pyhile

እድገቱ ወጪ ' ጊዜቀ ከፊት ነፃ ይሆናል
ከፊት ነፃ ይሆናል

ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା, ୨୦୦୬ ଓ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ

(12/12/17) 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17

12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17

12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17

12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17

| | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 12 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 11 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 10 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 9 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 8 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 7 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 6 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 5 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 4 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 3 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 2 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |
| 1 | 12/12/17 21/12/17 | 12/12/17 21/12/17 |

12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17

12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17
 12/12/17 21/12/17

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible][illegible][illegible]

—independent the independent country

[illegible]

दिनांक 17/6/17 को सम्मान देकर को कागजाती का निष्पत्ति-

उपखण्ड कपफोट परियोजना के लिए योजना के अन्तर्गत दरखोला से यीमा तक 4.00 किमी ग्राउण्ड परियोजना के निर्माण (0.607 हैम आरखिद वन ग्रीन, बिबिद एवं यीमा वनग्रीन 1.912 हैम, वन परापर ग्रीन 0.00 हैम, अर्थात् कुल 2.519 हैम वन ग्रीन) का लोक निर्माण विभाग कपफोट परियोजना योजना के तहत ग्राउण्डपरिचालन किचु वाना हेतु अर्थात् बिबिद वनग्रीन और अन्य परापर वनग्रीन (यीमा वन अतिकारी की ग्राउण्ड) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड परियोजना निर्माण (उपखण्ड कपफोट) की

[illegible]

۱۵

21/10/18
21/10/18

[illegible]

2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025
2026-2027
2028-2029
2030-2031
2032-2033
2034-2035
2036-2037
2038-2039
2040-2041
2042-2043
2044-2045
2046-2047
2048-2049
2050-2051
2052-2053
2054-2055
2056-2057
2058-2059
2060-2061
2062-2063
2064-2065
2066-2067
2068-2069
2070-2071
2072-2073
2074-2075
2076-2077
2078-2079
2080-2081
2082-2083
2084-2085
2086-2087
2088-2089
2090-2091
2092-2093
2094-2095
2096-2097
2098-2099
2100-2101
2102-2103
2104-2105
2106-2107
2108-2109
2110-2111
2112-2113
2114-2115
2116-2117
2118-2119
2120-2121
2122-2123
2124-2125
2126-2127
2128-2129
2130-2131
2132-2133
2134-2135
2136-2137
2138-2139
2140-2141
2142-2143
2144-2145
2146-2147
2148-2149
2150-2151
2152-2153
2154-2155
2156-2157
2158-2159
2160-2161
2162-2163
2164-2165
2166-2167
2168-2169
2170-2171
2172-2173
2174-2175
2176-2177
2178-2179
2180-2181
2182-2183
2184-2185
2186-2187
2188-2189
2190-2191
2192-2193
2194-2195
2196-2197
2198-2199
2200-2201
2202-2203
2204-2205
2206-2207
2208-2209
2210-2211
2212-2213
2214-2215
2216-2217
2218-2219
2220-2221
2222-2223
2224-2225
2226-2227
2228-2229
2230-2231
2232-2233
2234-2235
2236-2237
2238-2239
2240-2241
2242-2243
2244-2245
2246-2247
2248-2249
2250-2251
2252-2253
2254-2255
2256-2257
2258-2259
2260-2261
2262-2263
2264-2265
2266-2267
2268-2269
2270-2271
2272-2273
2274-2275
2276-2277
2278-2279
2280-2281
2282-2283
2284-2285
2286-2287
2288-2289
2290-2291
2292-2293
2294-2295
2296-2297
2298-2299
2300-2301
2302-2303
2304-2305
2306-2307
2308-2309
2310-2311
2312-2313
2314-2315
2316-2317
2318-2319
2320-2321
2322-2323
2324-2325
2326-2327
2328-2329
2330-2331
2332-2333
2334-2335
2336-2337
2338-2339
2340-2341
2342-2343
2344-2345
2346-2347
2348-2349
2350-2351
2352-2353
2354-2355
2356-2357
2358-2359
2360-2361
2362-2363
2364-2365
2366-2367
2368-2369
2370-2371
2372-2373
2374-2375
2376-2377
2378-2379
2380-2381
2382-2383
2384-2385
2386-2387
2388-2389
2390-2391
2392-2393
2394-2395
2396-2397
2398-2399
2400-2401
2402-2403
2404-2405
2406-2407
2408-2409
2410-2411
2412-2413
2414-2415
2416-2417
2418-2419
2420-2421
2422-2423
2424-2425
2426-2427
2428-2429
2430-2431
2432-2433
2434-2435
2436-2437
2438-2439
2440-2441
2442-2443
2444-2445
2446-2447
2448-2449
2450-2451
2452-2453
2454-2455
2456-2457
2458-2459
2460-2461
2462-2463
2464-2465
2466-2467
2468-2469
2470-2471
2472-2473
2474-2475
2476-2477
2478-2479
2480-2481
2482-2483
2484-2485
2486-2487
2488-2489
2490-2491
2492-2493
2494-2495
2496-2497
2498-2499
2500-2501
2502-2503
2504-2505
2506-2507
2508-2509
2510-2511
2512-2513
2514-2515
2516-2517
2518-2519
2520-2521
2522-2523
2524-2525
2526-2527
2528-2529
2530-2531
2532-2533
2534-2535
2536-2537
2538-2539
2540-2541
2542-2543
2544-2545
2546-2547
2548-2549
2550-2551
2552-2553
2554-2555
2556-2557
2558-2559
2560-2561
2562-2563
2564-2565
2566-2567
2568-2569
2570-2571
2572-2573
2574-2575
2576-2577
2578-2579
2580-2581
2582-2583
2584-2585
2586-2587
2588-2589
2590-2591
2592-2593
2594-2595
2596-2597
2598-2599
2600-2601
2602-2603
2604-2605
2606-2607
2608-2609
2610-2611
2612-2613
2614-2615
2616-2617
2618-2619
2620-2621
2622-2623
2624-2625
2626-2627
2628-2629
2630-2631
2632-2633
2634-2635
2636-2637
2638-2639
2640-2641
2642-2643
2644-2645
2646-2647
2648-2649
2650-2651
2652-2653
2654-2655
2656-2657
2658-2659
2660-2661
2662-2663
2664-2665
2666-2667
2668-2669
2670-2671
2672-2673
2674-2675
2676-2677
2678-2679
2680-2681
2682-2683
2684-2685
2686-2687
2688-2689
2690-2691
2692-2693
2694-2695
2696-2697
2698-2699
2700-2701
2702-2703
2704-2705
2706-2707
2708-2709
2710-2711
2712-2713
2714-2715
2716-2717
2718-2719
2720-2721
2722-2723
2724-2725
2726-2727
2728-2729
2730-2731
2732-2733
2734-2735
2736-2737
2738-2739
2740-2741
2742-2743
27

[illegible][illegible]

ANNEXURA-I

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of *Smt. RANJANA VERMA* A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date *21.06.17* at time *11.00 am* at Bageshwar in which application claiming rights in *Simala Gola* area measuring **2.519** hect for the **Construction of Harsila to Sima motor road (Length 4.00) in distt Bageshwer** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated:

21/06/17

21/06/17
District Level Committe

फोटो प्रति सत्यापित
रक्षा बल अभियन्ता
निर्माण खण्ड पो. नि. वि. ०
कापकोट (बागेश्वर)

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

NO.....

Dated... 21.6.17

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.519** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Harsila to Sima motor road (Length 4.00) in distt Bageshwar** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.519** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexer.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it:.....**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Dated 21-6-17

Signature

Distriet Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

फोटो प्रतिस्थापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

NO.....

Dated...21-6-17

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.519** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Harsila to Sima motor road (Length 4.00) in distt Bageshwar**

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.519** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Simala (Chakam)** Village (s) is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: **YES**
- The right of primitive groups and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

Encl: As above

फोटो प्रतिसत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड ले०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

District Collector
Bageshwar

कोई प्रति सम्पादित
सहायक अधीक्षक
विभाग एवं लोक निर्माण
कंपकट (अ. 1987)

विभागाधीश
आगरा

2/1/87
(1)

होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लक्षित नहीं है।
जंगल/वन/वासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित
किसी अनुसूचित जंगल/वन/वासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी
अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से
बाधित तथा सम्बन्धित भूमि खाली होना प्रदत्त अनुसूचित प्रमाण-पत्र निर्मित किया गया है। वन
को प्रभावित करने वाले वन विभागाधीश/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्राप्ति
निर्माण हेतु 251980 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कंपकट प्रयोग प्रो. 1
विभागाधीश के अनुसार हस्ताक्षर से प्रमाण तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग का

विभागाधीश द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- विभागाधीश के अनुसार हस्ताक्षर से प्रमाण तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग
का वनभूमि प्रदत्त उपखण्ड लोक निर्माण विभाग की हस्ताक्षर

फोटो प्रति सत्यापित
 सहितक अभिलेख
 निर्माण खण्ड लॉन्गिनिंग
 कपकोट (गोश्वर)

निर्वाहिका
 गोश्वर

(Groups) प्रभाव नहीं हो रहे हैं।

(Primitive Tribal Groups) व आदिवासी कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal) विद्यमान परिवर्तनों के निर्माण हेतु आवेदन वन व कृषि भूमि पर आदिवासी वनवासी समूहों के प्रकल्पों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों से तुलना किया गया है। (linear) परिवर्तन भू-संक, नहर, पारंपरिक बाढ़, ओवरफ्लो कंट्रोल व पाइपलाइन विद्यमान भू-संक, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफओसी दिनांक 05-02-2013 के द्वारा स्थापना को प्रभावित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, परिवर्तन एवं वन निर्माण हेतु 2.519 है वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रभावित एजेंसी) विभाग योजना के अन्तर्गत हस्तांतरण से सीमा तक 4.00 किमी मीटर भूमि को

निर्वाहिका द्वारा प्रदान प्रमाण-पत्र

परिवर्तनों का नाम:- विभाग योजना के अन्तर्गत हस्तांतरण से सीमा तक 4.00 किमी मीटर भूमि को वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव

(28/11/16) 2/10/16
09/10/16 2/10/16
1/10/16 2/10/16
2/10/16 2/10/16

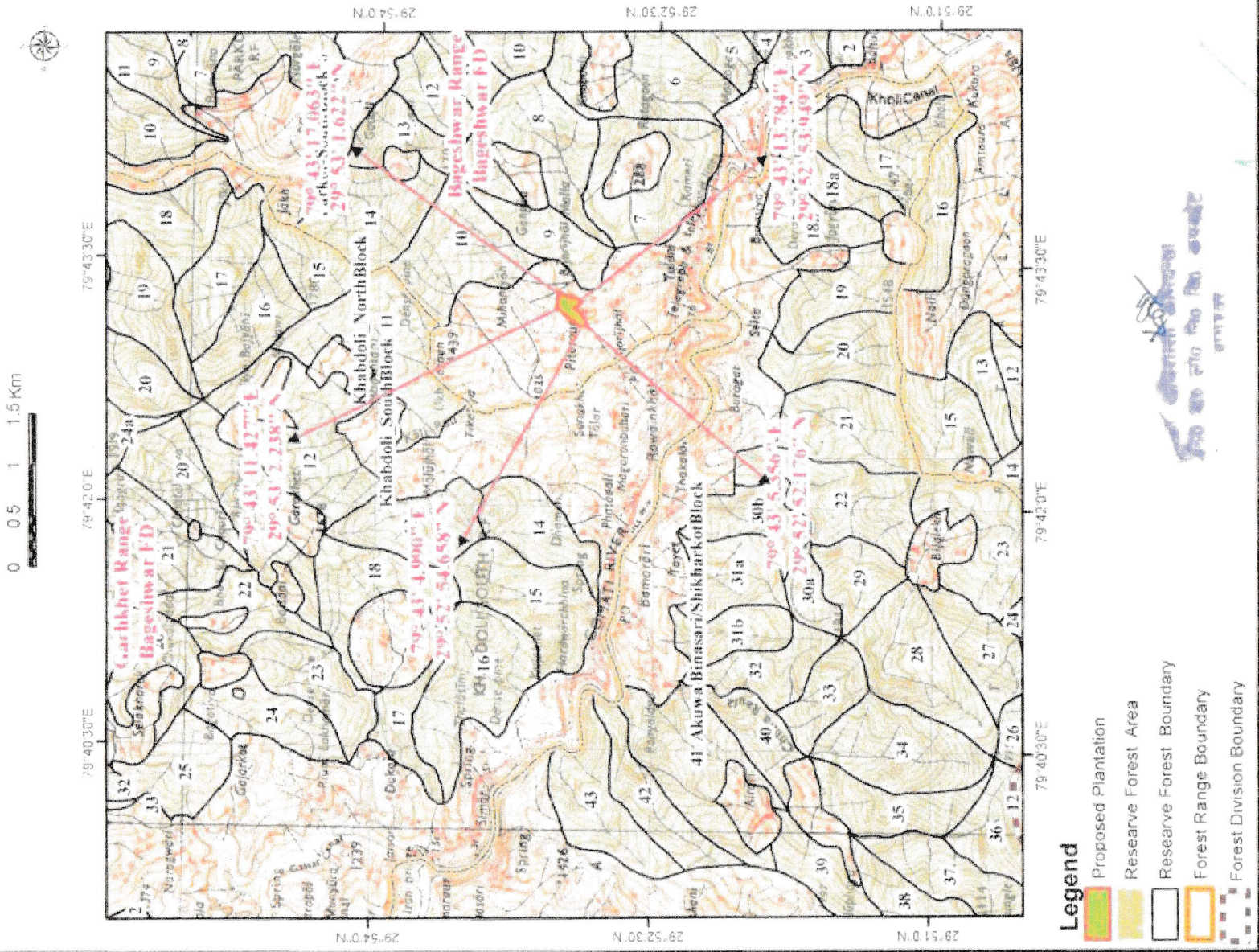
২৭৫৫
 '০৭/০৮/০৯' '১৯৯৯' ১৭/৮/৯৯
 ১৭/৮/৯৯ ১৭/৮/৯৯
 ১৭/৮/৯৯

കൃഷ്ണഭാര്യ

प्रमाणित किया जाता है कि जगद्वद बगैर के विद्यार्थियों को कथकोट में निरा
शोना के अन्तर्गत दखलीला की रीति तक (4.00किमी०) मोटर मार्ग निर्माण हेतु में स्थानीय
कारतकारों की विरोधी भावना सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस रूढ़ि का मुआवजा नियमानुसार
निर्वाहकारी, बगैरद्वद द्वारा उपलब्ध राकिल दलों के आधार पर अनुमान लोक निर्माण विभाग करेगा।
श्री श्री-रक्षणी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आशितों को नियमानुसार निर्वाहकारी महोदय
द्वारा रूढ़ि अधिपट्टित कर मुआवजा कारतकारों को विभाग द्वारा विवरित किया जायेगा।

Kh lkh

डिजिटल मैप - जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 10.00 किमी० मोटर के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल बीजोरी झाल सिविल सोयम (क्ष०-5.038 है०)



10/7/20

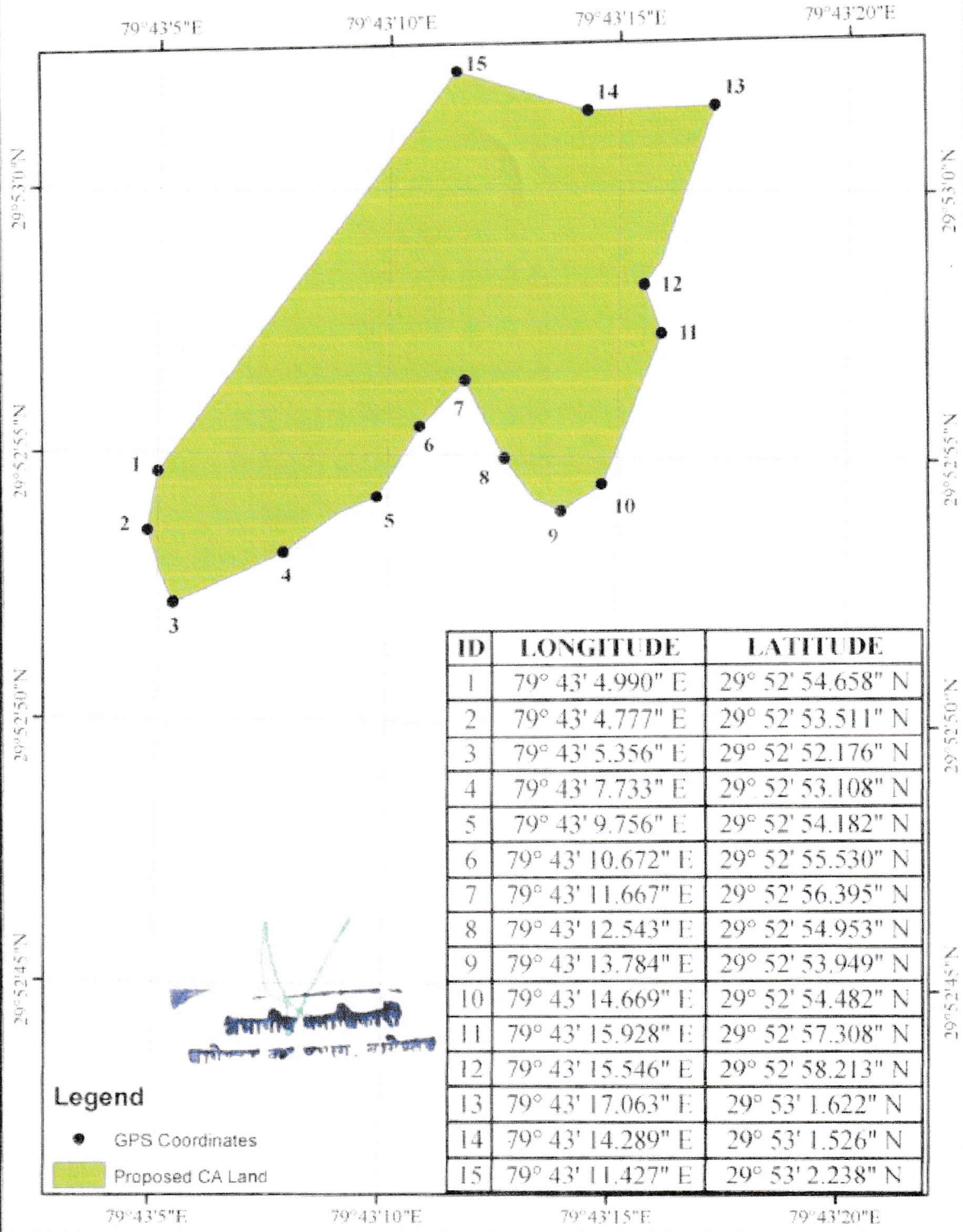
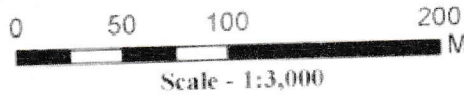
सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लोड लिफ्टिंग
दुधकोट

प्रसंगीय जानकारी
बागेश्वर एवं दुधकोट

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता

जीयोरेफ़रेन्स मैप-जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी० मोटर के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल बीजोरी झाल सिविल सोयम (क्षे०-5.038है०)



Konwar
J/e.

सहायक जिला अधिकारी
जिला बागेश्वर, जिला बागेश्वर

जिला बागेश्वर, जिला बागेश्वर
जिला बागेश्वर, जिला बागेश्वर

फोटो प्रति स्थापित
सहायक अभियन्ता

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

| Sl. No. | Beneficiary | Account Type | IFSC CODE | Account No | Gross Amount | Total Deduction | Advance Amount | Net Amount |
|---------|--|--------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------|
| 1 | OP8902422701221001
Mr Uttaranchal Campa | Saving | UBIN0903710 | 150896127119021 | 3523587 | 0 | 0 | 3523587 |
| | | | | | 3523587 | 0 | 0 | 3523587 |

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Print Date - 5-8-2024

Transaction ID - WO8902422701221001

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - १
(देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1 - जनपद का नाम : बागेश्वर
2 - कोषागार का नाम : कपकोट
3 - देयक की अवधि कब से कब तक
4 - रिकार्ड कोड

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
|---|---|---|

5 - कोषागार/उपकोषागार का कोड

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|

6 - देयक पंजी की क्रम संख्या

| | |
|---|---|
| 7 | 9 |
|---|---|

7 - वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

8 - मतदेय/भारित

: मतदेय

9 - लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

10 - आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम

: अधिशासी अभियंता नि० ख० पी डब्ल्यू डी कपकोट

11 - आहरण वितरण अधिकारी का कोड

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|

12 - अधिष्ठान का नाम

: अधिशासी अभियंता नि० ख० पी डब्ल्यू डी कपकोट

13 - अनुदान संख्या : (022) लोक निर्माण कार्य
Connect अनुदान संख्या

14 - सोर्स कोड : 1

15 - सेक्टर कोड : 2 16 - स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक - (5054) सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक - (04) जिला तथा अन्य सड़के
लघुशीर्षक - (337) सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक - (03) राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक - (04) एन० पी० वी० का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

वाउचर दिनांक

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

बजट की वर्तमान स्थिति

| मानक मद का नाम व कोड | आवंटित कुल बजट | इस बिल को सम्मिलित करते हुए | अवशेष बजट |
|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 54-भूमि क्रय | 18854304 | 12718666 | 6135638 |

भुगतान का विवरण

| मानक मद का कोड एवं नाम | धनराशि |
|---|----------|
| 54-भूमि क्रय | 35,23,58 |
| 66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद) | 35,23,58 |

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

| 77- सम्पूर्ण कटौतियां | |
|---------------------------|---------|
| 99 शुद्ध देय धनराशि 66-77 | 35,23,5 |

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

(केवल काउन्टरसाइन्ड कटौतियों के
में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

कोषागार/उपकोषागारों के
प्रयोग हेतु

धनराशि ₹ 35,23,587 (Rupees Thirty Five Lacs Twenty Three Thousand Five Hundred Eighty Seven Only) भुगतान हेतु प
किया जाता है।

अंकगण द्वारा ₹ 0 -

फोटो प्रति सत्यापित

Vorko 51

Date 30/14/21

Bill Type : Normal

Print Date - 30-12-2021

Transaction ID - VP8902422712212030

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - १

(देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

अभिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड ली.नि.वि.कॉ.क.

कपकोट

- 1- बजट का नाम
2- कोषागार का नाम
3- देयक की अवधि कब से
4- निवृत्ति कोड
5- कोषागार/उपकोषागार का कोड
6- देयक की कर्म संख्या
7- वाचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)
8- मनुदेय/भरित
9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंकों का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 7 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्रोरेवार शीर्षक)
10-आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम
11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड
12- अधिष्ठान का नाम
13- अनुदान संख्या : (022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या

: बागेश्वर
: कपकोट

कब तक

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 8 | 9 | 0 |
| 4 | 6 | |
| 0 | | |

: मतदेय

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

: अधिशासी अभियंता नि० ख० पी डब्ल्यू डी कपकोट

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|

: अधिशासी अभियंता नि० ख० पी डब्ल्यू डी कपकोट

14- स्रोत कोड : 1

15- सेक्टर कोड : 2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

| बजट की वर्तमान स्थिति | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| मानक मद का नाम व कोड | आवृत्ति कुल बजट | इस बिल को सम्मिलित करते हुए | अवशेष बजट |
| 54-भूमि क्रय | 18854304 | 18715339 | 138965 |

| भुगतान का विवरण | |
|---|--------|
| मानक मद का कोड एवं नाम | धनराशि |
| 54-भूमि क्रय | 35,23, |
| 66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद) | 35,23, |

ONLY FOR OFFICIAL USE

अभिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड ली.नि.वि.कॉ.क.
कपकोट

| कटौतियों का कोड सहित विवरण | |
|----------------------------|--------|
| 77- सम्पूर्ण कटौतियाँ | |
| 99 शुद्ध देय धनराशि 66-77 | 35,23, |

| Sl. No. | व्यय सम्बन्धी विवरण | धनराशि ₹० | अभ्युक्ति |
|---------|---|-----------|-----------|
| 1 | 3/28-DEC-2021/Executive Engineer CD PWD Kapkot 1000074 0-TO | 35,23,587 | |
| 66- | सकल धनराशि अग्रिम समायोजन के बाद | 35,23,587 | |
| 77- | सम्पूर्ण कटौतियाँ | - | |
| 99 | शुद्ध देय धनराशि 66-77 | 35,23,587 | |

प्रस्तुत किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के लिये प्रपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
अभिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड ली.नि.वि.कॉ.क.
कपकोट

निर्माण/प्रतिस्थापक अधिकारी के हस्ताक्षर
अभिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड ली.नि.वि.कॉ.क.
कपकोट

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

₹ 35,23,587 (Rupees Thirty Five Lacs Twenty Three Thousand Five Hundred Eighty Seven Only)

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

| Sl. No. | Beneficiary | Account Type | IFSC CODE | Account No | Gross Amount | Total Deduction | Advance Amount | Net Ar |
|---------|----------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------------|----------------|--------|
| 1 | Executive Engineer CD PWD Kapkot | Current | D | | 3523587 | 0 | 0 | 35 |
| | | | | | 3523587 | 0 | 0 | 35 |

फोटो प्रति तय्यापित

This C

Head of A/c

Passed for Rs

Parcel for R-352357/

E.E./AE

E.E./AE
KAE

Cash Book Voucher 57.....

Date 30/12/2021...

Pay by Cheque/Cash Rupees (3523587/-) to 3523587/-

Paid by me Incharge of Sub-Division दि. २७.०६.२०१७ दि. २७.०६.२०१७

Received from the 3147, 31157 Division the sum of Rs. (पुनर्प्राप्त) रु. 1000/-

Name of work or purpose for which payment is made द्वार पांच सो सहासी

शेनोपाख्यान जगत्कृत्य हेतु जनपद वाग्देवसे हरसीलासे श्रीगुरु
मोहराग के निर्माण हेतु २०१९ ई० वन भूमि का शेष बानिकी कार्य

ला. नि. वि. की प्रतपावन
Date

C/S For Pg. 3523587

Witness

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लौ०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Signature of Payee

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (वागेश्वर)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-12-2021

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Agency Name. | PWDKAPKOT |
| Application No. | 6127119021 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/57/2018/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address. | C.D.P.W.D.KAPKOTE Bageshwar |
| Amount(In Rs) | 3523587/- |

Amount in Words :Thirty-Five Lakh Twenty-Three Thousand Five Hundred and Eighty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|----------------------|--|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0903710 |
| Pay to Account No. | 150896127119021
Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India
Lodhi Complex Branch,
Block 11,CGO Complex,
Phase I, Lodhi Road, New
Delhi -110003 |

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

For making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through helpdeskampa@corpbank.co.in

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to cb0371@unionbankofindia.com

U.T.R. R.B.I 0302274463641

27-12-2021

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-12-2021

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Agency Name. | PWDKAPKOT |
| Application No. | 6127119021 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/57/2018/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address: | C.D.P.W.D.KAPKOTE Bageshwar |
| Amount(In Rs) | 3523587/- |

Amount in Words :Thirty-Five Lakh Twenty-Three Thousand Five Hundred and Eighty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|----------------------|--|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0903710 |
| Pay to Account No. | 150896127119021
Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India
Lodhi Complex Branch,
Block 11,CGO Complex,
Phase I, Lodhi Road, New
Delhi -110003 |

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लोन्निटि

संस्था का पता: दिल्ली, भारत

E-mail: info@medicall.com, info@medicall.com

Phone: +91 11 2611 2611

पता:

16/10/22

दिनांक: 16/10/2022

प्रति,

माननीय अध्यक्ष,
प्रतिष्ठान, दिल्ली

विषय - आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

प्रति,

आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

1. आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

2. आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

| क्र.सं. | विवरण | दिनांक | प्रमाण | प्रमाण | प्रमाण |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|
| 1 | आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है। | 10/10/22 | 10/10/22 | 10/10/22 | 10/10/22 |
| 2 | आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है। | 10/10/22 | 10/10/22 | 10/10/22 | 10/10/22 |

आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

10/10/22

आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

10/10/22

आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

10/10/22

आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

आपका पत्र दिनांक 10/10/22 को प्राप्त हुआ है।

वचनबद्धता

योजना का नाम:- बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे०
वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन
(Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण
सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया
जायेगा।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017)।

पौधों का वृक्षारोपण (Plantation) कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जँहा-जँहा सम्भव हो प्रयोक्ता एजेन्सी परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर वन विभाग द्वारा पौधों का वृक्षारोपण (Plantation) किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन
(Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017।

प्रमाणित किया जाता है कि मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे०
वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन
(Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017।

प्रमाणित किया जाता है वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं
किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017।

प्रमाणित किया जाता है आई०आर०सी० मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017)।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017)।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों /शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे०
वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन
(Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017।

प्रमाणित किया जाता है केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का
ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

वचनबद्धता

योजना का नाम:— बागेश्वर में हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.519 हे०
वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन
(Online NO FP/UK/ROAD/27119/2017।

प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों
पर वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु प्रयोक्ता ऐजन्सी सहमत है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट

आदेश

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.519है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: 08वी/यू०सी०पी०/०६/५७/२०१८/एफ०सी०/१५७ दिनांक १५.०५.२०२१ से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत के क्रम में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर की आख्या दिनांक १६ नवम्बर, २०२४ से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त २.५१९है० वन भूमि की दुगुनी ५.०३८है० भूमि, जो ग्राम बिजोरीझाल, तहसील बागेश्वर के गैर ज०वि०ख०खा०संख्या-१५७ श्रेणी ९(३)ड बंजर काबिल आबाद के खसरा संख्या-५८ रकवा ०.५६३है०, खसरा संख्या-६० रकवा ०.०८८है०, खसरा संख्या-५४२ रकवा ०.२५९है०, खसरा संख्या-५९१ रकवा ०.२७४है०, खसरा संख्या-६४१ रकवा ०.०६५है०, खसरा संख्या-६७१ रकवा ०.६६३है०, खसरा संख्या-७२९ रकवा ०.७२३है०, खसरा संख्या-८९४ रकवा ०.१३१है०, खसरा संख्या-९०१ रकवा ०.१०५है०, खसरा संख्या-१२५३ रकवा ०.११३है० खसरा संख्या-१२६८ रकवा ०.५१०है० खसरा संख्या-१२६९ रकवा ०.१४३है०, खसरा संख्या-१२७१ रकवा ०.२३५है०, खसरा संख्या-१३५४ रकवा ०.५२८है०, खसरा संख्या-१३९७ रकवा ०.३७९है०, खसरा संख्या-१५५८ रकवा ०.५९८है० कुल रकवा ५.०३८है० भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अतः शासनादेश संख्या: २१७३/४४४४(४)/२०१२-१८(१२०)/२०१० दिनांक १७ दिसम्बर, २०१२ तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक १५.०५.२०२१ में निहित शर्तों के अधीन उक्तानुसार चिन्हित/प्रस्तावित कुल ५.०३८है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या: नं० /छब्बीस-०२वन(२०-२१)/२०२४-२५ दिनांक २५/०१/२०२५

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :-

०१. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
०२. उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।
०३. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।
०४. तहसीलदार, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण-पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

ચારી વિનાશ રબલોની ગ્રામ વિભોરીમાલ ક્ષેત્ર રવાઈલાલા ૦૮૦૦
૧૬ બગોડવર

મોજી - ૨૮૩) ૬ વંચર ખાલિલ આખાર.

નામ

| રબાલા
સં | રબાલેશાર ખા
નામ | રબેલ
નં | રબલા
દે | વિવરણ |
|-------------|--------------------|------------|------------|--|
| 57 | બાંધા સં | 22 | 0.009 | <p>બિલાલેશારી મદેશ બગોડવર ની કારેલ
સં 70/ દબ્બીસલન/2024-25 દે. 25-1-2
ની અનુસાર રબેલ સં 58-0.563 દે. રબ
નં 60 દે 0.088 દે. રબસરા નં 542 રબ
0.259 દે. રબસરા નં 591 રબલા 0.274
રબસરા નં 641 રબલા 0.065 દે. રબસરા
671 રબલા 0.663 રબસરા નં 729 રબ
0.723 દે. રબસરા નં 894 રબલા 0.131
રબસરા નં 901 રબલા 0.105 દે. રબસરા
નં 1253 રબલા 0.113 દે. રબસરા નં 12
રબલા 0.510 દે. રબસરા નં 1269 રબ
0.143 દે. રબસરા નં 1271 રબલા 0.235
દે. રબસરા નં 1354 રબલા 0.528 દે. રબ
રબસરા નં 1397 રબલા 0.379 દે. રબ
નં 1558 રબલા 0.598 દે. રબ રબલા 5.03
સાલિપુર નુસરેપણ દે. બન બિમ્બા
નામ દસ્તાલિલ વિગત બાલાઈ.</p> <p>દે. પડવારી
રવાઈલાલા
7.2.25</p> |
| | | 30 | 0.013 | |
| | | 44 | 0.004 | |
| | | 58 | 0.563 | |
| | | 60 | 0.088 | |
| | | 542 | 0.259 | |
| | | 591 | 0.274 | |
| | | 641 | 0.065 | |
| | | 671 | 0.663 | |
| | | 729 | 0.723 | |
| | | 894 | 0.131 | |
| | | 901 | 0.105 | |
| | | 1253 | 0.113 | |
| | | 1269 | 0.510 | |
| | | 1271 | 0.143 | |
| | | 1354 | 0.235 | |
| | | 1397 | 0.528 | |
| | | 1558 | 0.379 | |
| | | 1558 | 0.598 | |
| | | 6010 | 0.008 | |
| | | 6010 | 0.008 | |
| યોગ - | 506 | 26.237 દે | | |

પોતો પ્રતિ સત્યાપિત

સહાયક બીમપતા
નિર્માણ ચાંડ લોન્ડિંગ
કમ્પોટ (બગોડવર)

મદેશ, લાંબા વિગત.